डीजी परिपत्र संख्या -37 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जुलाई 13 ,2016

विषयः- पुलिस अभिरक्षा में कैदियों को न्यायालय में पेशी अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद की जेलों में ले जाते समय पालन किये जाने वाले नियमों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

प्रायः पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्तों/विचाराधीन बन्दियों को पेशी हेतु ले जाते समय पर्याप्त सावधानी के अभाव में अभियुक्तों के भाग जाने अथवा गन्तव्य स्थान पर न जाकर अपने संगी-साथियों से मिलने की घटनायें संज्ञान में आयी है। इन घटनाओं से जहॉ एक ओर कई बार पुलिस कर्मियों की जान जोखिम में पड़ जाती हैं वही दूसरी ओर इन अभियुक्तों को अपने साथियों से मिलकर भविष्य के लिए अपराध की नई योजनायें बनाने का भी अवसर प्राप्त होता है और जन-मानस में भी इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को जितनी सावधानी एवं गम्भीरता से लिया जाना चाहिए उसका अभाव है। कभी-कभी इस कार्य हेतु सही कर्मियों का चयन नही किया जाता है। इसके साथ-साथ इन कर्मियों को सही प्रकार से ब्रीफ भी नही किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे स्वच्छन्दतापूर्वक इधर-उधर जाने के लिए स्वतन्त्र महसूस करते हैं। फलस्वरूप प्रदेश में प्रति वर्ष पुलिस अभिरक्षा से कैदियो का अधिक संख्या में भागना तथा पुलिस पार्टी पर अपराधियों द्वारा हमला करने की घटनायें घटित हुई हैं, जो कदापि उचित नही हैं।

डीजी परिपत्र - 39/2013
डीजी परिपत्र - 58/2008
डीजी परिपत्र - 19/2006

इस मुख्यालय से इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु पूर्व में पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर विस्तृत निर्देश दिये गये हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में निर्गत परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भली-भॉति अनुपालन नही किया जा रहा है। प्रकरण में पुनः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं : -

- उत्तर प्रदेश पुलिस के "Rules for Guards and Escorts" के अध्याय 6 में बन्दियों के स्कोर्ट हेतु व्यवस्था की गयी है। इसी नियम के परिशिष्ट -2 में बन्दियों के साथ भेजे जाने वाले पुलिस बल की न्यूनतम संख्या भी दर्शायी गयी है, इसका पालन किया जाये।
- यदि कोई बन्दी जघन्य अपराध में संलिप्त रहा है अथवा जिसके भागने की आशंका है, तो ऐसे बन्दी के साथ पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाया जाना उचित होगा, क्योकि गार्ड एवं स्कोर्ट नियम उस समय का है जब अभियुक्तों को हथकड़ी लगायी जाती थी। वर्तमान में हथकड़ी का प्रयोग नही किया जाता है।
- सी0ई0आर0/ए0ई0आर0 के दौरान गार्ड एवं स्कोर्ट रूल्स की ट्रेनिंग दी जाये।

- स्कोर्ट डियूटी में जो कर्मी लगाये जाये उनकी उपयुक्तता, सजगता, कार्यक्षमता, शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य, सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में प्रतिसार निरीक्षक को पूर्णतया संतुष्ट होना चाहिए।
- स्कोर्ट डियूटी प्रतिसार निरीक्षक को अपनी देख-रेख में कर्मियों की ब्रीफिंग करने के बाद रवाना करानी चाहिए। स्कोर्ट कमाण्डर को भी चाहिए कि डियूटी पर रवाना होने से पूर्व वह डियूटी में लगाये गये कर्मचारियों, शस्त्र, वाहन आदि के विषय में जानकारी कर अपनी संतुष्टी कर ले। बाद समाप्त डियूटी प्रतिसार निरीक्षक को डी-ब्रीफिंग भी करना चाहिए।
- शातिर अपराधियों के आपराधिक इतिहास के आधार पर पुलिस बल की जन शक्ति निर्धारित की जाये।
- डियूटी में नियुक्त कर्मचारियों को बताया जाये कि वे अपराधी या उसके सहयोगियों द्वारा दिये गये खाद्य पदार्थो एवं पेय पदार्थों का इस्तेमाल कदापि न करें।
- अपराधी को गाड़ी से उतारते एवं चढ़ाते समय एवं भीड़-भाड़ वाले स्थान के आस-पास खड़े दो पहिया एवं चार पहिया वाहन को संदेह की दृष्टि से देखा जाये।
- जिन अपराधियों के पलायन करने की सम्भावना हो तो उन्हे हथकड़ी लगाने के सम्बन्ध में न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया जाये।
- जिन अपराधियों को गैंगवार के चलते जान का खतरा हो उनकी पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराये जाने के निमित्त न्यायालय से अनुरोध किया जाये।

➢ **सक्रिय अपराधियों के एक जेल से दूसरे जेल में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही की जायेगीः-**

- यदि बन्दी को एक जेल से दूसरे जनपद की जेल में ले जाना है तो किस वाहन व किस मार्ग से ले जाना है उसका स्पष्ट रूप से लिखित आदेश दिये जाये। दूरी को देखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाये। यदि यह यात्रा ट्रेन से है तो उसका उल्लेख भी स्पष्ट रूप से किया जाये। यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाये कि किसी भी दशा में सरकारी वाहन अथवा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जैसे बस/ट्रेन के अतिरिक्त कोई अन्य वाहन का उपयोग न किया जाये। अपराधी या उसके साथियों के सौजन्य से कोई वाहन न लिया जाये।
- गम्भीर अपराधियों के मामलों में जीपीएस लगे वाहन का उपयोग किया जाये।
- शासन द्वारा अपराधी को प्रदेश के अन्दर एक जेल से दूसरे जेल में स्थानान्तरित किया जाता है तो जिस जेल से अपराधी स्थानान्तरित होगा वहॉ के जेल अधीक्षक द्वारा उस जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा जिस जनपद में अपराधी स्थानान्तरित होगा वहॉ के पुलिस अधीक्षक को उस अपराधी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सूचना भेजी जायेगी।

- जब वह अपराधी जनपद जेल से दूसरे जेल के लिए रवाना होगा तो उस जनपद के पुलिस अधीक्षक SMS Gateway का प्रयोग कर अपने सभी राजपत्रित अधिकारियो/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0 को इस सम्बन्ध में अवगत करायेगें। यह सूचना प्राप्ति जेल के जनपदीय पुलिस अधीक्षक को भी भेजी जायेगी।
- दूसरे जनपद की जेल में दाखिल होने के उपरान्त इस जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले जनपद के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0 व अपने जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी व थानाध्यक्षों को SMS Gateway का प्रयोग कर सूचित करेगें।
- यदि अपराधी अति सक्रिय प्रवृत्ति का है, तो प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक से विचार-विमर्श कर आवश्यकतानुसार अपेक्षित पुलिस बल स्कोर्ट में लगाना सुनिश्चित करेंगें और अपराधी को पुलिस वाहन से ही पेशी हेतु भेजेंगें। पुलिस बल लगाने का आदेश पुलिस अधीक्षक के स्वयं के हस्ताक्षर युक्त आदेश से ही निर्गत होगा। नशे के आदी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी न लगायी जाये। ड्यूटी रोटेशन से लगायी जाये अर्थात जिन कर्मियों को उस अपराधी के साथ एक बार पेशी पर भेजा गया है तो अगली बार पेशी में दूसरे कर्मी भेजे जाये।
- जिस पुलिस वाहन में अपराधी को भेजा जाये उसमें सीसीटीवी कैमरा/डीवीआर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। अपराधी के जिला कारागार से निकालने से लेकर मार्ग पेशी तथा पेशी से वापस तथा कारागार में दाखिल करने तक की रिकार्डिग इस कैमरें में की जायेगी।
- प्रत्येक जनपद में जीपीएस इनबिल्ड स्मार्टफोन(GPS enabled smartphone) क्रय किया जाये जो कि सक्रिय अपराधियों के साथ भेजी जा रही स्कोर्ट पार्टी के प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्कोर्ट प्रभारी का यह दायित्व होगा कि सम्बन्धित न्यायालय के पेशकार से अपराधी की पेशी का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा जो यह प्रमाणित करेगा कि निर्धारित तारीख पर यह मुल्जिम सम्बन्धित न्यायालय में पेश हुआ है।
- कैदी को जेल से लेकर सीधे माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा। अपराधी को प्राधिकृत जगहों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नही जाने दिया जायेगा और न ही अनधिकृत व्यक्तियों से मिलने दिया जायेगा।
- कोर्ट पेशी के उपरान्त कैदी को सीधे जिला कारागार ले जाया जायेगा। यदि रात्रि में विश्राम करना है तों कैदी को स्थानीय जेल में दाखिल किया जायेगा।
- स्कोर्ट पार्टी के सभी कर्मचारी भी उस जनपद के पुलिस लाइन में अपनी आमद करायेगें और असलहे को कोत में जमा करेगें।
- स्कोर्ट पार्टी प्रभारी प्रत्येक एक घण्टे में प्रतिसार निरीक्षक को फोन कर कैदी व स्कोर्ट पार्टी के लोकेशन की जानकारी देगें और साथ ही साथ स्मार्टफोन पर कैदी के साथ स्कोर्ट पार्टी का चित्र लेकर वाट्सअप से भी भेजेंगें। यह चित्र इस प्रकार से लिया जाये ताकि चित्र में वह स्थान पर

जहॉ पर स्कोर्ट मौजूद है उनका कोई स्पष्ट चिह्न चित्र में उपलब्ध रहे जैसे मील का पत्थर या कोई विद्यालय या कार्यालय इत्यादि, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि स्कोर्ट के सभी कर्मी और कैदी एक साथ हैं और उसी स्थान पर हैं।

- स्कोर्ट पार्टी में जा रहे सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल नम्बर प्रतिसार निरीक्षक के पास उपलब्ध रहेगें।
- यदि पुलिस वाहन के साथ अपराधी से सम्बन्धित अन्य लोगों की गाड़ियॉ चल रही हो तो स्कोर्ट प्रभारी का दायित्व होगा कि वह स्थानीय पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर मदद लेगें और Convoy के रूप में चल रही गाड़ियों को चेक कर उन वाहनों को रूकवायेगें।
- यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि अपराधी को ले जाने वाले पुलिस वाहन में हूटर/साइरन का प्रयोग न हो। ऐसा करने से आम जनमानस में गलत संदेश जाता है कि अपराधी कोई वीआईपी है।

प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र में अंकित निर्देशों का भली-भॉति अध्ययन कर लें। निर्देशों से सभी राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों/चौकी प्रभारियों एवं प्रतिसार निरीक्षक को लिखित रूप से अवगत करा दें तथा मासिक अपराध गोष्ठियों में इन निर्देशों को सुनाकर सभी को अवगत कराया जाये और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। आप की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि आप अपने जनपद में इन निर्देशों के अनुपालन में कोई भी लापरवाही न होने दें।

भवदीय

18.7.16.

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
5.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।